

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / यू.सी.आर / ए / डी / 33 / राजगढ़ / 2022 / 1912

भोपाल दिनांक 4/10/2023

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला- राजगढ़।


विषय-बी.एड.दो वर्षीय पाठ्यक्रम की विभागीय अनुमति प्रदान करना बाबत।

संदर्भ:- प्राचार्य शासक उमावि सारंगपुर जिला राजगढ़ का पत्र क्र.63 दिनांक 22.06.2023

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि शासकीय सरथाओं में कार्यरत लोक सेवकों को नियमित छात्र के रूप में बी.एड. पाठ्यक्रम केवल शासकीय बी.एड. कॉलेज में किए जाने का प्रावधान है। अशासकीय बी.एड. कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बी.एड. करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः संबंधित को कार्यमुक्त नहीं करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(के.के.दिवादी)
संचालक


लोक शिक्षण मंत्र

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

स्था0-1 / 2024 / 410

राजगढ़ दिनांक 06/10/24
06-02-2

कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़ की ओर सादर सूचनाार्थ।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सारंगपुर।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगपुर।
सकुल प्राचार्य शा.कन्या उमावि सारंगपुर।
की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़ म0प्र0